

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 51/2022

उनवान

1. रामा पुत्र श्री प्यारा माली नि० माली मोहल्ला हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र श्री वालू कुम्हार(प्रजापत) नि० नई आवादी तालाव के पास हमीरगढ तह हमीरगढ ।
2. रामचन्द्र पुत्र श्री देवी माली नि० मालियों का खेडा हमीरगढ तह० हमीरगढ ।
3. कैलाश पुत्र श्री भैरू माली नि० नि० मालियों का खेडा हमीरगढ तह० हमीरगढ ।
4. कमरू उर्फ कमरूदीन पुत्र श्री जमालुदीन मुसलमान नि० नई आवादी तालाव के पास हमीरगढ तह हमीरगढ ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 23.11.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1402 की कृषि भूमि की आ०न० 3316 रकबा 0.2023है०, आ०न० 3318 रकबा 0.2655है०, आ०न० 3322 रकबा 0.1391है०, आ०न० 3323/2 रकबा 0.2529है० कुल किता 04 रकबा 0.8598है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 एवं 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ प्रथम भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1402 की कृषि भूमि की आ०न० 3316 रकबा 0.2023है०, आ०न० 3318 रकबा 0.2655है०, आ०न० 3322 रकबा 0.1391है०, आ०न० 3323/2 रकबा 0.2529है० कुल किता 04 रकबा 0.8598है०। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-रू० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)